संख्या–2944 / 9–आ–3–98–32 एल0यू0सी0 / 96

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक : 17 सितम्बर, 1998

विषय : निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल तथा डेन्टल कालेज की स्थापना हेतु मानक सिद्धान्त।

महोदय,

प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा को रोजगारपरक एवं व्यवहारिक बनाये जाने हेतु उसके तकनीकीकरण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज तथा डेन्टल कालेज खोले जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। उक्त नीति की घोषणा के पश्चात प्राविधिक शिक्षा विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निजी क्षेत्र में इंजीनिरिंग कालेज व मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किहए गये हैं जिसके आधार पर सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा सम्बन्धित काउसिंलों अर्थात आल इण्डिया हाउन्सिल फार टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया तथा डेन्टल काउन्सिल आफ इण्डिया में अनुमति पत्र हेतु आवेदन दिए गये हैं। सम्बन्धित काउन्सिलों द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि संस्थ की भूमि महायोजना में वांछित भू–प्रयोग के विपरीत है।

इंजीनियरिंग कालेज व मेडिकल काजेज के लिए निर्धारितमानक के अनुसार न्यूनतम 25 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। स्पष्ट है कि नगर के विकसित क्षेत्र में इतनी भूमि एक साथ उपलब्ध होना कठिन है। अतः इन संस्थाओं द्वारा अधिकांशतः नगरीयकरण क्षेत्र से बाहर कृषि भू–उपयोग की भूमि क्रय की गयी है। इस दृष्टिकोण से भी कि इन कालेजों के लिए सघन क्षेत्र से दूर शैक्षिक एवं शान्त वातावरण उपलब्ध हो सके इन संस्थाओं द्वारा भूमि का क्रय किया गया है। अतः राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जिन संस्थाओं को निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग अथवा केडिकल कालेज हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया है, उनके मामलों में महायोजना में भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही उदारतापूर्वक एवं समयबद्ध रूप से किए जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।

अतः इस सम्बन्ध मं पूर्व में जारी किए गय शासनादेश संख्या–511 / 9–आ–3–98–32 एल0यू0सी0 / 96 दिनाँक 20 अप्रैल, 1998 के क्रम में श्री राज्यपाल महादय उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–41(1) के अधीन निम्न निदेश देते है :–

(1) सम्बन्धित संस्था द्वारा मेडिकल कालेज, डेन्टल कालेज व इंजीनियरिंग कालेज के निर्माण हेतु महायोजना में भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा विभाग व प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण–पत्र को संलग्न कर प्रस्तुत किया जायेगा। उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा। जिनमें राज्य सरकार का अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी हो चुका है।

(2) भू–उपयोग परिवर्तन के आवेदन पत्र पर सम्बन्धित विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(3) प्रस्ताव पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की आख्या आवश्यकतानुसार ही प्राप्त की जायेगी।

(4) शासन द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव पर निर्णय प्राधिकरण की आख्या प्राप्त होने के पश्चात एक माह के अन्दर ले लिया जायेगा।

(5) प्रस्ताव में जितनी कृशि भू–उपयोग की भूमि का भू–उपयोग परितर्वन प्रस्तावित है उतनी ही भूमिम महायोजना में बाद में यथा समय कृषि उपयोग में बढ़ाई जायेगी।

(6) भू–उपयोग परिवर्तन की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् मानचित्र स्वीकृति के समय वर्तमान आवासीय सेक्टर दर अथवा सर्किल दर दोनों में से जो अधिक हो, का 10 प्रतिशत भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में सम्बन्धित संस्था द्वारा विकास प्राधिकरण में जमा करना होगा। यह शुल्क निर्मित क्षेत्र पर आगणित किया जाये। इन कालेजों हेतु जितने क्षेत्र में निर्माण किया जाना है यदि कुल क्षेत्र में से उतने क्षेत्र या उससे कम निर्मित क्षेत्र हैं तो उस कमी तक ही भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क लिया जायेगा। भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की धनराशि शहर के विकास हेतु सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के अधीन गठित विकास निधि में जमा की जायेगी।

(7) निर्मित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर सामान्य विकास शुल्क भी देय होगी।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–2944(1) / 9आ–3–98–32 एल0यू0सी0 / 96 तददिनांक

उपरोक्त की प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) सचिव, चिकित्सा, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(4) उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,

एच0पी0 सिंह
अनु सचिव